संख्या-26 /2025/71/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 15 अप्रैल, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के राजस्व पक्ष में केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-04/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2025-26, दिनांक 03.04.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38542.92 लाख के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु **रू0 9635.76 लाख (रूपये छियानवें करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सुसंगत शासनादेशों/मानकों/दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(6) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(7) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी।

(12) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में केन्द्रांश प्राप्त होने में विलम्ब की दशा में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वितीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित (unspent) धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी। यह प्रावधान वित्तीय वर्ष 2023-2024 में केन्द्रांश की प्रत्याशा में अवमुक्त राज्यांश पर भी लागू होंगें।

(13) पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रसंख्या-F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दिनाँक 23 मार्च, 2021 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में दिनाँक 01 जुलाई, 2021 से एस.एन.ए. माड्यूल लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देश, उक्त योजनाओं के संगत राज्यांश पर भी लागू होंगे, जिसका सम्पूर्ण अनुपालन का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(14) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(15) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(16) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार/ अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।

(17) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनाँक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

<u>लेखाशीर्ष:2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+रा.))</u>

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	07 मानदेय	5,99,99,000 (रुपये पाँच करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	08 कार्यालय व्यय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
3	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	09 विद्युत देय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
4	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	10 जलकर/जल प्रभार	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
5	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
6	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	13 टेलीफोन पर व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
7	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
8	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
9	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	22,50,000 (रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र)
10	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	29 अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
11	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
13	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
14	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
15	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**8,27,49,000 (रुपये आठ करोड़ सत्ताईस लाख उनचास हजार मात्र)**

<u>लेखाशीर्ष:2235021020110 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.))</u>

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	84,80,000 (रुपये चौरासी लाख अस्सी हजार मात्र)
2	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,91,93,000 (रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख तिरानबे हजार मात्र)
3	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+	39 औषधि तथा रसायन	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		रा.)		
4	049	2235021020110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	91,00,000 (रुपये इक्यानबे लाख मात्र)
	कुल			**3,97,73,000 (रुपये तीन करोड़ सत्तानबे लाख तिहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	08 कार्यालय व्यय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	09 विद्युत देय	31,25,000 (रुपये इकतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	10 जलकर / जल प्रभार	8,33,000 (रुपये आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
4	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	35,42,000 (रुपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र)
5	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	37,92,000 (रुपये सैंतीस लाख बानबे हजार मात्र)
6	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण	17 किराया, उपशुल्क और	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	कर-स्वामिस्व	
7	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	52,50,000 (रुपये बावन लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
9	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	41,67,000 (रुपये इकतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
10	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
11	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
12	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
13	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**6,69,59,000 (रुपये छह करोड़ उनहत्तर लाख उनसठ हजार मात्र)**

<u>लेखाशीर्ष: 2235021020113 (चाइल्ड हेल्पलाइन (के..100/रा.00 के.))</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020113 चाइल्ड हेल्पलाइन (के..100/रा.00 के.)	42 अन्य व्यय	8,25,00,000 (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			**8,25,00,000 (रुपये आठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	13,15,83,000 (रुपये तेरह करोड़ पन्द्रह लाख तिरासी हजार मात्र)
	कुल			**13,15,83,000 (रुपये तेरह करोड़ पन्द्रह लाख तिरासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष:2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	04 यात्रा व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	07 मानदेय	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की	08 कार्यालय व्यय	55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)		
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	09 विद्युत देय	41,67,000 (रुपये इकतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र)
5	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)
7	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
8	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	2,80,42,000 (रुपये दो करोड़ अस्सी लाख बयालीस हजार मात्र)
9	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	37,50,000 (रुपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र)
10	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
11	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	33,25,000 (रुपये तैंतीस लाख पच्चीस हजार मात्र)
12	049	2235021020115	58	7,72,50,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	(रुपये सात करोड़ बहत्तर लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**21,12,84,000 (रुपये इक्कीस करोड़ बारह लाख चौरासी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020116 (स्वच्छता कार्य योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020116 स्वच्छता कार्य योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	18,75,000 (रुपये अठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र)
	कुल			**18,75,000 (रुपये अठारह लाख पचहत्तर हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020117 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020117 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)
	कुल			**3,60,00,000 (रुपये तीन करोड़ साठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020118 (नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर-स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020118 नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर -	20 सहायता अनुदान-	25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		स्पांसरशिप/फोस्टर केयर-आफ्टर केयर (के.60/रा.40-के.+रा.)	सामान्य (गैर वेतन)	
	कुल			**25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021020121 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	08 कार्यालय व्यय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
3	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	19,17,000 (रुपये उन्नीस लाख सत्रह हजार मात्र)
4	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
5	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,25,000 (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
7	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)
8	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,50,000 (रुपये दो लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल	**32,92,000 (रुपये बत्तीस लाख बानबे हजार मात्र)**

<u>लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.))</u>

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	5,75,61,000 (रुपये पाँच करोड़ पचहत्तर लाख इकसठ हजार मात्र)
	कुल			**5,75,61,000 (रुपये पाँच करोड़ पचहत्तर लाख इकसठ हजार मात्र)**
महायोग				**96,35,76,000 (रुपये छियानबे करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या-26/2025/71(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।